# न्यायालय, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, सुपौल

विवाह विच्छेद वाद संख्या-22/2018

[redacted] साकिन- सखुआ, थाना- पिपरा, जिला- सुपौल।

.............आवेदक

बनाम

[redacted] पिता- कृष्णदेव चौधरी, साकिन- सखुआ, थाना- पिपरा, जिला- सुपौल।

................विपक्षी

## आदेश

**10.03.2026**

1. आवेदक अनुपस्थित है। न्यायालय द्वारा पुकार पर आवेदक या उनके अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। वाद दिनांक 09.07.2018 को प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत वाद दिनांक 15.01.2026 से आवेदक के साक्ष्य में लंबित है।

2. अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक को न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया है जिसका अनुपालन आवेदक द्वारा नहीं किया गया है। आवेदक को दिनांक 10.02.2026, 12.02.2026, 13.02.2026, 16.02.2026, 17.02.2026 को न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया गया, जिसका अनुपालन भी आवेदक द्वारा नहीं किया गया, जिसके उपरांत आवेदक को दिनांक 18.02.2026 को मो० 100/- (एक सौ रुपये) कॉस्ट पर साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अंतिम अवसर दिया गया जिसका अनुपालन आवेदक द्वारा नहीं किया गया है। यह वाद वर्ष 2018 से लंबित है तथा दिनांक 26.02.2026 तक आवेदक को अनेकों अवसर प्रदान किए जाने के उपरांत भी तथा उनके ओर से उपस्थित उनके न्यायमित्र/अधिवक्ता को आदेश फलक दर्शित कराने के उपरांत भी आवेदक द्वारा इस वाद में साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया और न ही वे व्यक्तिगत रुप से इस वाद को निष्पादन कराने हेतु अपने स्वयं को साक्षी के रुप में न्यायालय के समक्ष साक्ष्य देने हेतु प्रस्तुत हुए। आवेदक जो कि दिनांक 21.11.2025 से लगातार अनुपस्थित हैं तथा उनकी ओर इस दौरान प्रस्तुत किए गए समय आवेदनों को स्वीकृत

करते हुए उन्हें अनेकों बार अवसर प्रदान किया गया परंतु उन्होंने इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन नहीं किया और साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु सदेह उपस्थित नहीं हुए, जिससे स्पष्ट है कि, आवेदक इस वाद को अनिश्चितकाल के लिए लंबित रखना चाहते तथा उन्हें इस वाद के निष्पादन में अभिरुची नहीं है अर्थात् आवेदक इस वाद में अग्रेतर कार्रवाई नहीं चाहते है। अतः उपरोक्त परिस्थिति के आलोक में वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

3. कार्यालय अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें।

(राहुल उपाध्याय)
प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय, सुपौल
10.03.2026